

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला ।

सेवा में

प्राचार्य,
सभी राजकीय महाविद्यालय,

यादि क्रमांक 6/47-2017 छा. (5)

दिनांक पंचकूला 30/3/17

विषय:-

वित्त विभाग से वित्त वर्ष 2016-17 के छात्रवृत्ति के अन्तिम तिमाही बिलों पर लगी 30% की रोक पर छुट प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।


विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है वित्त विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्कीम के निम्नलिखित स्कीमों पर अन्तिम तिमाही के बिलों पर 30% की रोक पर छुट प्रदान कर दी गई है। इस बारे पहले ही महाविद्यालयों की ई-मेल पर सूचित किया जा चुका है।

Scheme Name:- Consolidated Stipend Scheme for the Welfare of Scheduled Caste Students Pursuing Higher Education in Govt. Colleges.

1. Budget Head '2202- General Education – 03- University and Higher Education -789 Sepecial Component plan for Scheduled Caste -97-Providing of free books to scheduled caste students in Govt. Colleges and 94-stipend to all scheduled caste students in Govt. Colleges.

Scheme Name:-Haryana State Merit Scholarship.

2. '2202- General Education – 03- University & other higher education-107-Scholarship-99-Scholarship in Arts Colleges State merit scholarship in Colleges (Non Plan)


अधीक्षक छात्रवृत्ति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला। 30/3/17